284 (3) संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम मे और अधिक संशोधन

सरकार ने इस विभाग के तारीख 5 मई, 2000 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन द्वारा केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को तत्काल प्रभाव से और अधिक संशोधित करने का फैसला लिया है जो इस प्रकार है:–

(क) तारीख 1.1.87 और 1.1.92 को वेतनमान के निश्चित स्तर पर पहुंचे कर्मचारियों के संबंध में अनुग्रह राशि की गणना मौजूदा स्कीम के अनुसार मौजूदा वेतनमान पर की गई थी उसे क्रमशः 100% और 50% तक बढ़ाया जाएगा।

(ख) कम लाभ अर्जित करने वाले/हानि उठाने वाले उद्यमों और रूग्ण तथा अक्षम युनिटों के कर्मचारियों के लिए गुजरात या दिल्ली पैटर्न का विकल्प उपलब्ध होगा।

(ग) गुजरात पैटर्न के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/स्वैच्छिक वियोजन स्कीम के लिए वेतन की गणना की एक महीने में 30 दिन के आधार पर की जाएगी न कि 26 दिन के आधार पर। परिणामस्वरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम और स्वैच्छिक वियोजन स्कीम के लिए अनुग्रह राशि के परिकलन की पद्धति समान रहेगी।

(घ) एक बार जब कोई कर्मचारी लोक उद्यम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है तो उसे किसी अन्य लोक उद्यम में रोजगार लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसे संबंधित लोक उद्यम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत ली गई प्रतिपूर्ति की राशि लोटानी होगी। यदि प्रतिपूर्ति का भुगतान सरकारी अनुदान से किया गया था तो संबंधित लोक उद्यम वापिस लौटाई गई राशि सरकार को प्रेषित कर देगा। यदि लोक उद्यम पहले ही बंद हो चुका है। उसका विलय हो गया है तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम प्रतिपूर्ति सीधे सरकार को वापस लौटाई जाएगी।

2. लोक उद्यम विभाग के तारीख 5.5.2000 के मार्गदर्शी सिद्धांत (दिशानिर्देशों) के अन्य सभी उपबंध जारी रहेंगी।

3. पूर्ववर्ती निर्देशों के परिणामस्वरूप लोक उद्यम विभाग के तारीख 8 दिसम्बर, 2000 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में दिए गए स्पष्टीकरण संशोधित किए जाते हैं।

4. ऐसे कर्मचारी इस संशोधित स्कीम के अंतर्गत नहीं आएंगे जो इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से पहले ही लोक उद्यम से कार्य मुक्त हो चुके हैं।

5. प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले लोक उद्यमों की जानकारी में इस संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/स्वैच्छिक वियोजन स्कीम को अवश्य लाएंगे और स्कीम के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(लो.उ.वि. का का.ज्ञा.सं. 2(32)/97–लो.उ.वि. (डब्ल्यू सी)/जी एल–एल XI तारीख 6 दिसम्बर, 2001)